(160)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 3767-एक/2016 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-10-16 पारित व्दारा नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड - प्रकरण क्रमांक 2/16-17 बी-121

हरिगिर पुत्र देवी गिरी
ग्राम कंचनपुर तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
ग्राम कंचनपुर तहसील गोहद जिला भिण्ड
2- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी शर्मा)
(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क-2 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक २६ -०७-2017 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार एण्डोरी तहसील गोहद व्दारा प्रकरण क्रमांक 2/ 2016-17 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कंचनपुर स्थित चबूतरा श्री महादेव

प्रबंधक कलेक्टर के नाम कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 हैक्टर भूमि मंदिर की व्यवस्था के लिये माफी/औकाफ विभाग की शासकीय अभिलेख में दर्ज है । इस भूमि पर हरिगिर पुत्र देवगिर जबरन कब्जा करके फसल बोये हुये था । चबूतरा श्री महादेव प्रबंधक कलेक्टर की भूमि पर से हरिगिर पुत्र देवगिर को बेदखल करने एंव अवैध कब्जा कर बोई गई फसल को जप्त करने के नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन दिनांक को 13–10–2016 आदेश पारित किये हैं। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त एण्डोरी तहसील गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 2/2016–17 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–10–2016 मे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आवेदक को वादग्रस्त भूमि से बेखल करते हुये फसल जप्ती के आदेश दिये ह, जिसके कारण नायव तहसीलदार का यह आदेश अंतिम होने के कारण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य है जिसके कारण राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील का उपचार प्राप्त है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अत्री)

सदस्य

राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर